राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर

जी-03, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन के पास, सी-स्कीम, जयपुर-302013

दिनांकः- 19.11.2021

विज्ञप्ति

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दृष्टिगत विभिन्न कार्यों की शीघ्र निष्पादन हेतु स्वायत्त शासन विभाग के अधीन राज्य की नगरीय निकायों में अधिशाषी अधिकारी-द्वितीय से चतुर्थ, राजस्व अधिकारी-द्वितीय, कर निर्धारक के रिक्त पदों हेतु राजस्थान नगर पालिका सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु के एवं सहायक अभियन्ता (सिविल), कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), कनिष्ठ लेखाकार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु के कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 15(1)कार्मिक/क-2/2009 दिनांक 31.03.2016 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेन्शन नियम, 1996 के नियम-151 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय दिनांक 22.09.2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत 'Pay(-) Pension' के आधार पर पुर्ननियुक्ति हेतु दिनांक 30.11.2021 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक अधिकारी/कार्मिक संलगन आवेदन-पत्र के साथ PPO की प्रति मय पहचान-पत्र संलग्न कर निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग में व्यक्तिशः अथवा ई-मेल आई.डी addlblsg@gmail.com पर आवेदन कर सकते है। पदों की संख्या निम्नानुसार है।

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	कॉलम संख्या 02 में अंकित पदों पर पे-माईनस पेंशन पर पुर्ननियुक्ति हेतु पात्र पद
01.	अधिशाषी अधिकारी-द्वितीय से चतुर्थ	53	आयुक्त तक के पदों से
02.	राजस्व अधिकारी-द्वितीय	30	
03.	कर निर्धारक	29	
04.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	74	अधिशाषी अभियन्ता तक के पदों से
05.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	220	सहायक अभियन्ता तक के पदों से
06.	कनिष्ठ लेखाकार	109	लेखाधिकारी तक के पदों से

नोटः-उक्त नियुक्तियाँ इन पदों पर नई भर्ती होने, प्रशासन शहरों के संग अभियान की समाप्ति होने अथवा अन्य कोई आदेश जारी होने में से, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी।

विस्तृत विवरण एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट http://lsg.urban.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण, स्वायत्त शासन विभाग में व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2229314 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

Scanned with CamScanner